

संख्या- 689/15-7-181531/2001

प्रेषक,

श्री-राम कुमार,
विश्व सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, सहाय केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली।

विषय 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 4 मई 2002

विषय:- श्री कृष्ण राम सम्मेलनी स्कूल मैथिली लोक बोली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रस्ताव का स्वीकार के संबंध में।

महोदय,

अपनी विज्ञापन पर श्री कृष्ण राम सम्मेलनी स्कूल मैथिली लोक बोली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रस्ताव का स्वीकार के संबंध में।

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीसापटी का सख्त-सख्त पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- 15। संस्था शैक्षिक एवं शिष्टोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक्ष्म या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

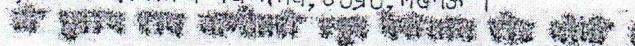
भवदीय,



पृ०सं०- 111/15-7-तद्विनांक

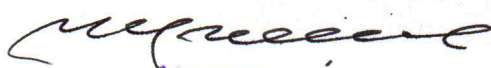
111/15-7-तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, 
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, 
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, 
- 6- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,




Manager
Shri Gulab Rai Montessori Sr. Sec. School
Bareilly


Principal
Shri Gulab Rai Montessori Sr. Sec. School
Bareilly